

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमांक/राजस्व/रात्रि-चौपाल/2016/ 626

दिनांक : 08 मार्च, 2016

-: संशोधित आदेश :-

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 तथा इस कार्यालय के क्रमांक: 215-245 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 एवं आदेश क्रमांक 495-496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोहस्ताक्षरकर्ता के संशोधित माह मार्च, 2016 में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा :-

दिनांक	नाम उपखण्ड	नाम ग्राम	पंचायत व पंचायत समिति	दौरा/निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
08.03.2016	मनोहरस्थाना	चन्दीपुर पं.स.	मनोहरस्थाना	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
11.03.2016	अकलेरा	आसलपुर पं.स.	अकलेरा	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
15.03.2016	पिडावा	डोला पं.स.	पिडावा मु0 सुनेल	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
18.03.2016	गंगधार	सुनारी पं.स.	डग	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
22.03.2016	अकलेरा	बिन्दाखेडा पं.स.	अकलेरा	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल
29.03.2016	भवानीमण्डी	मिश्रोली पं.स.	भवानीमण्डी	दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल

- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल में दिन में प्रातः 10.00 बजे से ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात सांय 7.00 बजे से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि चौपाल प्रारंभ की जायेगी। प्रत्येक शुक्रवार को निरीक्षण एवं जनसुनवाई में प्रातः 10.00 बजे से निरीक्षण एवं दोपहर 02.00 बजे से जनसुनवाई प्रारंभ की जायेगी।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। सम्बंधित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत की समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेंगे तथा लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे :-

1. जलदाय विभाग 2. विद्युत विभाग 3. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 4.राजस्व. 5. शिक्षा विभाग 6.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 7. पशुपालन विभाग 8. रसद विभाग 9. समाज कल्याण विभाग 10. महिला एवं बाल विकास विभाग 11. सार्वजनिक निर्माण विभाग 12. कृषि विभाग

- सभी विभाग रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर प्रातः 10 बजे संबन्धित पंचायत में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेंगे।
- पटवारी एवं ग्राम सेवक विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेंगे, उनकी पूर्ति भी करायेंगे जिससे रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में स्वीकृति जारी की जा सकें।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पंचायत की क्या-क्या परिसम्पत्तियाँ हैं, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेंगे।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनबाडी कार्यकला/महिला सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 एवं वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।
- उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/पेंशन/महानरेगा/अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।

- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।
- प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेंगे कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल/जनसुनवाई की समस्त प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 215-245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 में संलग्न प्रपत्रों में तैयार की जायेगी।

संलग्न :- संशोधित कार्यक्रम माह मार्च, 2016

जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक/राजस्व/रात्रि-चौपाल/2016/627-676

दिनांक : 08 मार्च, 2016

प्रतिलिपि माननीय जन प्रतिनिधिगण:-

1. श्रीमति वसुंधरा राजे सिंधिया, माननीया विधायक, विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री, जिला झालावाड़।
3. श्री दुष्यन्त सिंह, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा संसदीय क्षेत्र झालावाड़-बारां ए.बी.-17 तिलक मार्ग नई दिल्ली 110001
4. श्री श्रीकिशन पाटीदार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर।
5. श्री नरेन्द्र नागर, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र खानपुर, तह.खनपुर।
6. श्री रामचन्द्र सुनारीवाल, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र डग, तह.गगधार।
7. श्री कंवरलाल मीणा, माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र मनोहरस्थाना निरोगधाम अकलेरा, तह.अकलेरा।
8. श्रीमति टीना कुमारी, माननीया जिला प्रमुख महोदया-जिला परिषद झालावाड़।
9. प्रधान महोदय/महोदया, पंचायत समिति झालरापाटन/खानपुर/अकलेरा/मनोहरस्थाना/बकानी/पिडावा-मु.सुनेल/भवानीमण्डी/डग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

1. अति० मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीय विभाग (प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
5. मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़।
6. अति.जिला कलक्टर, झालावाड़
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.....
8. प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।
9. सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री
10. उपखण्ड अधिकारी समस्त.....
11. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त.....
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त.....
13. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड़.....
14. पीए टू कलक्टर

जिला कलक्टर
झालावाड़